अदालत अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा ...

19

ब–अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

आर0ई0आर0 केश सं0– 75/16–17

शिव कुमार राय बनाम् अनिल रजक वगै0

–: आदेश :–

05.10.2021

वर्त्तमान वाद आवेदक शिव कुमार राय, पे0–महादेव राय, सा0–धमड़ी साहेब, थाना–मेहरमा, जिला–गोड्डा के आवेदन पर मौजा–साहेब धमड़ी नं0–32, जमाबंदी नं0–10, दाग नं0–86, रकवा–00–13–08 धूर भूमि से विपक्षीगण अनिल रजक, पे0–पैरू बैठा, सा0–डोय, ब्रहमदेव रजक, पे0–साहेब रजक, सा0–ईटहरी, गोविन्द राय व अर्जुन राय, पे0–स्व0 मंगरू राय, सा0–धमड़ी, थाना–मेहरमा, जिला–गोड्डा को उच्छेद करने हेतु दायर किया गया है। तद्नुसार उभय पक्ष द्वारा निर्गत नोटिस के विरूद्ध न्यायालय में उपस्थित होकर अपना कागजात दाखिल किया गया। उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रासंगिक भूमि आवेदक के दादा सुरेश राय वल्द रामदेव राय के नाम से दर्ज है। आवेदक वर्त्तमान में ग्राम–रतनपुर, थाना–मनिहारी, जिला–कटिहार में रहते हैं। प्रासंगिक भूमि का सर्वे खतियान में चोखन राय व बंगाली राय, पे0–जंगली राय, कौम–भुईया सा0देह के नाम से दर्ज है तथा आवेदक को सुरेश राय, पे0–स्व0 रामदेव राय, द्वारा प्रासंगिक भूमि का पॉवर ऑफ अटर्नी प्राप्त है। विपक्षीगण बाहरी व्यक्ति हैं। आवेदक बेहतर ईलाज हेतु भागलपुर जाने के कारण विगत तीन माह के अंदर विपक्षीगण द्वारा प्रासंगिक भूमि पर जबरन दखल कब्जा कर निर्माण कार्य किया गया है। आवेदक को प्रासंगिक भूमि पर अवैध दखल कब्जा की जानकारी प्रासंगिक स्थल पर आने से प्राप्त हुई। तदुपरांत संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 की धारा–20 (5) एवं 42 के तहत् उच्छेदी वाद लाया गया है। साक्ष्य के रूप में प्रासंगिक भूमि का रसीद, पर्चा की छाया प्रति, माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड, रांची WP(c) नं0–2895/2002 में दिनांक–30.07.2008 को पारित आदेश की छाया प्रति, समर्पित करते हुए प्रासंगिक भूमि से विपक्षीगण को उच्छेद करने का अनुरोध किया है।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रासंगिक वाद विपक्षीगण पर चलने योग्य नहीं है। प्रासंगिक भूमि मौजा–धमड़ी साहेब, नं0–32, जमाबंदी नं0–10, दाग नं0–86 के अंदर रकवा–00–13–08 धूर भूमि, जमाबंदी रैयत चोखन राय व बंगाली राय, पे0–जंगली राय के नाम से दर्ज है। चोखन राय, पे0–बंगाली राय द्वारा प्रासंगिक भूमि कुर्फानामा के द्वारा गोविन्द राय, पे0–मंगरू राय को दिनांक–01.01.1936 को हस्तांतरित किया है और उक्त तिथि से ही विपक्षीगण प्रासंगिक भूमि पर दखलकार हैं। गोविन्द राय विपक्षीगण के दादा हैं तथा उनकी मृत्युपरांत प्रासंगिक भूमि पर विपक्षीगण पूर्व से ही मकान बनाकर सपरिवार निवास कर रहे हैं। आवेदक का जमाबंदी रैयत से कोई संबंध नहीं है तथा प्रासंगिक भूमि पर कभी आवेदक का कब्जा नहीं रहा। आवेदक कटिहार (बिहार) जिला के रहने वाले हैं तथा प्रासंगिक भूमि पर फर्जी दस्तावेज के आधार पर अवैध रूप से दावा कर रहे हैं। आवेदक द्वारा फर्जी पॉवर ऑफ अटर्नी प्रस्तुत किया गया है, जो जिला निबंधन कार्यालय द्वारा निबंधित नहीं है। अंचल अधिकारी, मेहरमा का प्रतिवेदन भी विपक्षीगण के पक्ष में है। सुन्दर राय, पे0–स्व0 रामदेव राय, सा0–धमड़ी साहेब द्वारा शपथ पत्र सं0–259, दिनांक–11.03.2005 द्वारा नीतू देवी, पति–ब्रहमदेव रजक को प्रासंगिक दाग अंतर्गत रकवा–00–01–10 धूर भूमि बसोबास हेतु दिया गया है, जिसपर विपक्षीगण पक्का मकान निर्माण कर सपरिवार निवास कर रहे हैं। प्रासंगिक भूमि कृषि योग्य भूमि नहीं है। प्रासंगिक भूमि पर सभी विपक्षीगण का मकान बना हुआ है। साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र की छाया प्रति, माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड, रांची WP(c) नं0–3771/2002 द्वारा पारित आदेश की छाया प्रति समर्पित करते हुए आवेदक के आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

पदाधिकारी

अंचल अधिकारी, मेहरमा ने अपने पत्रांक–1060/रा0, दिनांक–21.08.2021 के द्वारा जांचोपरांत प्रतिवेदित किया है कि प्रासंगिक दाग नं0–86 की भूमि गत सर्वे खतियान में जमाबंदी रैयत चोखन राय व बंगाली राय, पे0–जंगली राय, कौम–भुईया सा0देह के नाम से दर्ज है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत कागजात के अवलोकनोपरांत स्पष्ट है कि प्रासंगिक भूमि आवेदक को उनके दादा के द्वारा पॉवर ऑफ अटर्नी दिया गया है, जो निबंधन कार्यालय से नहीं, बल्कि Notary से बना हुआ है, जो वैध कागजात है। विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत कागजात से स्पष्ट है कि प्रासंगिक दाग नं0–86 के अंतर्गत विपक्षीगण को भूमि शपथ पत्र सं0–258, दिनांक–11.03.2005 से रकवा–00–01–10 धूर, शपथ पत्र सं0–259, दिनांक–11.03.2005 से रकवा–00–01–10 धूर एवं शपथ पत्र सं0–226, दिनांक–28.02.2005 से रकवा–00–10–08 धूर भूमि रहने के लिए प्राप्त है, जिसमें बाउन्ड्री, पक्का मकान बनाकर विपक्षीगण निवास कर रहे हैं। विपक्षीगण जमाबंदी रैयत की सहमति से प्रासंगिक भूमि पर घर बनाकर रह रहे हैं। जमाबंदी रैयत के वंशज सपरिवार रतनपुर, कटिहार में रह रहे हैं।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने, अभिलेख में संलग्न कागजात एवं अंचल अधिकारी, मेहरमा द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रासंगिक भू–भाग में विपक्षीगण का मकान निर्मित रहने के कारण संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–20 एवं 42 के तहत् आवेदक द्वारा दाखिल आवेदन को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

03/10/21

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

03/10/21

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

Digitally signed by Saurabh Kumar Bhuwania
Date: 2023.02.03 12:57:30 +05:30
Location: 192.168.8.107